


25/12 सुरेश कुमार - रामेश्वर

दिनांक

आज्ञा पत्र

5-7-18

बार-बार कावाज दिलाइ गई।  
 ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के बकाल  
 कोइ सोलिये नहि करीस। कते  
 कदम हरिजने एवं कदम पैरवी  
 समाहित होके से कबाल बकारिज  
 को जाती है। राजवली बाद  
 तरतीब तकमील वारिवल दख्खर  
 हो। निर्णय सुनयन बोस।



सुधीर अशिकारी एवं  
 अपील अधिकारी  
 सौकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official